क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

सत्यमेव जयते

क्षेत्रीय कार्यालय-बिहार, पंचदीप भवन,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना-**800001**
Tel: 0612-25211928, Fax: 0612-2533314
E-mail: rd-bihar@esic.nic.in
Website: www.esic.gov.in / www.esic.in

प्रेस वज्ञप्ति

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा आ श्रत हितलाभ का भुगतान

दिनांक- 12-08-2025

के अंतर्गत पंजीकृत बीमत व्यक्ति श्री वनय कुमार मश्रा जो दरभंगा में मानव बल के पद पर 1948 के अंतर्गत आश्रत हितलाभ प्रदान कया गया और संवेदना व्यक्त की गयी ।

स्व. वनय कुमार मश्रा की मृत्यु दिनांक 16-04-2024 को कार्य के दौरान रोजगार चोट के वे परिवार में अकेले कमाने वाले थे व परिवार पूर्णतः आर्थक रूप से उन पर निर्भर था| नियोजक द्वारा दुर्घटना रिपोर्ट भेजे जाने के पश्चात इसकी जाँच की गयी तथा ई०एस०आई०सी० द्वारा आश्रतों के लए मासक पेंशन स्वीकृत कया गया । पेंशन के रूप में 350 रु. प्रतिदिन की दर से लगभग प्रतिमाह (10500/-) आश्रतों को मलेगा । दुर्घटना की तिथ से आज तक लगभग 157500 रुपये का बकाया भुगतान भी उनके खाते में अंतरित कया जा रहा है ।

उल्लेखनीय है क कार्य के दौरान व कार्यस्थल और निवासस्थान के मध्य आवागमन के कारण होने वाली दुर्घटना को ESI कर्मचारी राज्य बीमा अधनियम 1948 के तहत रोजगार चोट के रूप में स्वीकृत करने का प्रावधान है जिसके अंतर्गत बीमत कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रत परिवारजनों को ई० एस० आई० योजना के तहत वेतन का 90% तक मासक आश्रत आश्रत पेंशन दिया जाता है ।

क्षेत्रीय निदेशक